

RAJASTHAN HIGH COURT

सत्यमेव जयते

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 2711/2025

Dhannalal S/o Uddaji, Aged About 75 Years, R/o Udaypuriya Police Station Suket District Kota Rural (Raj.) (At Present Confined In District Jail, Jhalawar (Raj.)

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

-----Respondent

Connected With

S.B. Criminal Miscellaneous 2nd Bail Application No. 3979/2025

Laxminarayan S/o Purulal, Aged About 61 Years, R/o Bheelwada Police Station Sadar Jhalawar District Jhalawar (At Present Confined In District Jail Jhalawar (Raj.)

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Rohit Khandelwal
For Respondent(s)	:	Mr. Sudesh Saini, PP

HON'BLE MR. JUSTICE PRAVEER BHATNAGAR

Order

19/03/2025

प्रार्थी/अभियुक्त धन्नालाल पुत्र उदाजी की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थी/अभियुक्त लक्ष्मीनारायण पुत्र पुरुलाल की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के अन्तर्गत पुलिस थाना— झालरापाटन, जिला— झालावाड़ में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या— 313/2023 अपराध अन्तर्गत धारा 419, 120—बी भारतीय दंड संहिता में पेश किए गए हैं।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को प्रकरण में झूठा संबद्ध किया गया है। उनका तर्क है कि प्रकरण में परिवादी मांगीलाल एवं प्रार्थी/अभियुक्त लक्ष्मीनारायण के मध्य विवादित जमीन के संदर्भ में सिविल वाद चला था और उस सिविल वाद में परिवादी मांगीलाल को कोई स्टे प्राप्त नहीं हुआ, तदुपरांत उक्त झूठा मुकदमा प्रार्थीगण/अभियुक्तगण धन्नालाल एवं लक्ष्मीनारायण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। उनका यह भी तर्क है कि प्रकरण में अन्य 2 सहअभियुक्तगण, जिन्हें तथाकथित विवादास्पद विक्रयपत्र में साक्षीगण के रूप में दर्शित किया गया है, उनकी जमानत याचिकाएं इस न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी हैं। अतः ऐसी स्थिति में उक्त दोनों प्रार्थीगण/अभियुक्तगण भी जमानत का लाभ प्राप्त करने के अधिकारी हैं। विद्वान् अधिवक्ता प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का यह भी तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त धन्नालाल 75 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति है एवं पूर्व में किसी अपराध में संबद्ध नहीं पाया गया है। इसी प्रकार प्रार्थी/अभियुक्त लक्ष्मीनारायण 65 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति है। प्रकरण मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। प्रकरण के विचारण में लंबा समय लगने की संभावना है। अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाए।

विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदनों का विरोध किया गया तथा साथ ही प्रकरण की तथ्यात्मक रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है। उनका तर्क है कि प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त धन्नालाल द्वारा फर्जी रूप से अपने आपको परिवादी मांगीलाल बताते हुए मांगीलाल की स्वामित्वशुदा भूमि प्रार्थी/अभियुक्त लक्ष्मीनारायण को बेचान कर दी गई। लक्ष्मीनारायण को भी इस तथ्य का पूर्ण रूप से ज्ञान था कि जो व्यक्ति मांगीलाल के रूप में उक्त विक्रयपत्र में दर्शित किया गया है, वह व्यक्ति मांगीलाल न होकर धन्नालाल है। पूर्व में प्रार्थी/अभियुक्त लक्ष्मीनारायण ने यदि परिवादी मांगीलाल से विक्रय विलेख के जरिए अन्य खसरे खरीद किए थे, तब ऐसी स्थिति में पश्चात्वर्ती प्रक्रम में विवादित दस्तावेज (विक्रय विलेख) द्वारा अन्य व्यक्ति अर्थात् प्रार्थी/अभियुक्त धन्नालाल से उक्त संपत्ति खरीद करना अपने आपमें प्रार्थी/अभियुक्त की दस्तावेज कूटरचित करने की मंशा को दर्शित करती है। उक्त दोनों प्रार्थीगण/अभियुक्तगण प्रकरण में मुख्य लाभार्थी हैं। अतः दोनों ही प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के जमानत आवेदन अस्वीकार किए जाएं।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त धन्नालाल द्वारा स्वयं को परिवादी मांगीलाल दर्शित करते हुए प्रार्थी/अभियुक्त लक्ष्मीनारायण के पक्ष में विक्रय विलेख निष्पादित किया गया है। यह निश्चित है कि धन्नालाल मांगीलाल नहीं है, विक्रय विलेख पंजीबद्ध हुआ है और धन्नालाल ने स्वयं मांगीलाल के रूप में अपने को दर्शित करते हुए उक्त दस्तावेज पर मांगीलाल के रूप में हस्ताक्षर किए हैं। पूर्व में प्रार्थी/अभियुक्त लक्ष्मीनारायण द्वारा परिवादी मांगीलाल से रजिस्टर्ड विक्रयपत्र द्वारा विवादित संपत्ति के अतिरिक्त अन्य खसरे की भूमि खरीद की है। अतः यह इस तथ्य को दर्शित करता है कि प्रार्थी/अभियुक्त लक्ष्मीनारायण परिवादी मांगीलाल को पूर्व में अच्छी तरह से जानता था। अतः प्रार्थी/अभियुक्त लक्ष्मीनारायण की उक्त फर्जी विक्रय विलेख को निष्पादित करने में कोई संबद्धता नहीं है, यह इस प्रक्रम पर नहीं कहा जा सकता है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए मैं प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के जमानत आवेदनों को स्वीकार किए जाने योग्य नहीं समझता हूँ। अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के जमानत आवेदन अस्वीकार किए जाते हैं।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **धन्नालाल पुत्र उदाजी** की ओर से प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थी/अभियुक्त **लक्ष्मीनारायण पुत्र पुरुलाल** की ओर से प्रस्तुत द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किए जाते हैं।

(PRAVEER BHATNAGAR),J